Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110002 Website: scstwelfare.delhigovt.nic.in, Phone No. 23378164, Fax No. 23379513

PUBLIC NOTICE

POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR THE YEAR 2014-15 (FRESH/RENEWAL) FOR STUDENTS OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES (MUSLIM, SIKH, CHRISTIAN, PARSI, BUDHIST AND JAIN).

1. Online applications are invited from the students belonging to the Minority Communities notified by the Central Government (Muslim, Sikh, Christian, Parsi, Budhist & Jain), pursuing education from class XI to Ph.D. and Technical and Vocational Courses of Industrial Training Institutes/Industrial Training Centres (affiliated with NCVT) in Government/Aided School/College/Institute or private School/College/Institute recognized by approved authority for Post-Matric Scholarship (Fresh/Renewal) to be awarded by the Ministry of Minority Affairs, Government of India for the year 2014-15.

The scheme is specifically meant for Minority students having proof of residence of Delhi.

- It is clarified for all concerned that from the Financial year 2011-12 the call of applications under Post-Matric Scholarship has been switched from Manual system to online system and no direct application will be entertained. The site can be accessed through the URL www.momascholarship.gov.in. Alink to the site is also available in the website of Ministry of Minority Affairs, i.e. www.minorityaffairs.gov.in.
- 3. Best efforts have been made to upload all the School/College/Institutions providing Education from 11th Level to Ph.d/M Phil and Vocational courses/Polytechnic courses in Delhi in the Institution module, however, in case any Institute has not been uploaded in the Institution module of Delhi, the Head of the Institution may contact to the Dy. Director (Scholarship) at above referred telephone numbers for inclusion of their institution in the institution module.
- 4. The Student Module will remain live in case of fresh candidates upto 15.09.2014 and for renewal candidates upto 10.10.2014. The time line for online application under Post Matric scholarship is as under:-

Fresh Scholarship.

1.	Last date for submission of Online applications for fresh scholarship by students.	15th of September, 2014
2.	Last date for submission of duly signed printed version of online applications by students to state Department through respective institutions.	25th of September, 2014
_		

Renewal Scholarship

1.	Last date for submission of Online applications for Renewal Scholarship by students.	10th of October, 2014
2.	Last date for submission of duly signed printed version of online applications by students to State Department through respective institutions.	20th of October, 2014

- 5. Eligibility Criteria
 - (a) To be eligible, students should have not less than 50% marks in the previous final examination. Students from BPL families, having the lowest income shall be given preference in the ascending order.
 - (b) Ascholarship holder under this scheme will not avail of any other scholarship/stipend for pursuing the same course.
 - (c) The annual income, all sources, of the students' parents/guardian should not exceed to Rs. 2 lakh.
 - (d) Attested copy of mark-sheet of the previous examination passed be enclosed from School/ College/Institute.
 - (e) Proof of Permanent residence.
 - (f) Original fee slip or duly attest fee slip.
 - (g) Aadhar seeded Bank account/Aadhar Number
- 6. Conditions for Scholarship (Renewal):
 - Student who was selected for scholarship in, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 & 2013-14 under this scheme and still successfully continuing his/her studies in the same course should apply for Renewal.
- 7. Eligible applicants are advised to apply online and take print outs of the duly filled-in application forms, through Online Scholarship Management System and submit the same along with all supporting documents through their respective institutions to the State/UT Department as per time line mention above. It is also Clarified here that without receipt of hard copy in the State/UT Department the application will be rejected. Applicants are also advised to go through the FAQs (Frequently asked questions) available on the home page of the website for their convenience before filling up of online applications.
- 8. Scope.:- The scholarship is to be awarded for studies in India only.
- $9. \ \ NUMBER\,OF\,POST\,MATRIC\,SCHOLARSHIP\,AVAILABLE\,FOR\,N.C.T.\,OF\,DELHI.:-$

Muslim	Christian	Sikh	Budhist	Jain	Parsi	Total
4192	336	1434	61	400	02	6425

10. Rates of Scholarship:- Actual financial assistance will be provided for course fee/tuition fee and maintenance allowance as given below subject to a maximum ceiling indicated against item concerned:
Rates of Scholarship

Rates of Scholarship

No.	Item	Hosteller	Day Scholar	
1.	Admission and tuition fee for classes XI and XII	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 7,000 p.a.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 7,000 p.a.	
2. Admission and course/tuition fee for technical and vocational courses of XI and XII level, (Includes fees/Charges for raw materials, etc.) Admission and course/tuition fee for technical and ceiling of Rs. 10,000 p.a.		Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 10,000 p.a.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 10,000 p.a.	
3.	Admission and tuition fee for undergraduate, post graduate.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 3,000 p.a.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 3,000 p.a.	
4.	Maintenance allowance for 10 Months only in an academic year(Includes expenses for study material, etc.)			
	(i) Classes XI and XII including technical and vocational courses of this level.	Rs. 380 p.m.	Rs. 230 p.m.	
	(ii) Courses other than technical and professional course at undergraduate and post graduate level	Rs. 570 p.m.	Rs. 300 p.m.	
	M.Phil and Ph.D. (For those researchers who are not awarded and fellowship by university or any other authority)	Rs. 1,200 p.m.	Rs. 550 p.m.	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनु. जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 वेबसाइट : scstwelfare.delhigovt.nic.in फोन : 23378164, फैक्स : 23379513

सार्वजनिक सूचना

अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2014-15 (नई/नवीनीकृत) मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति

- 1. वर्ष 2014-15 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति (नई/नवीनीकृत) हेतु सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालय/कॉलेज/संस्थान या स्वीकृत प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/कॉलेज/संस्थान में कक्षा XI से पीएच डी. तक और औद्योगिक प्रशिक्षण
- संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (एनसीवीटी से संबद्ध) के तकनीकी व वोकेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) के विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं।
- 2. सभी संबंधितों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2011-12 से मैटिक पश्चात छात्रवृत्ति के अंतर्गत आवेदनों के आमंत्रण को हाथों—हाथ प्रणाली से ऑनलाइन प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है और किसी भी सीधे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। युआरएल 🛚 www.momascholarship.gov.in के
- 3. दिल्ली में 11वीं के रतर से पीएचडी/एम फिल तक और वोकेशनल पाठ्यक्रम/पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे सभी विद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों को संस्थान माङ्गूल में अपलोड करने के बेहतरीन प्रयास किए गए हैं, फिर भी यदि कोई संस्थान दिल्ली के संस्थान माङ्गूल में अपलोड नहीं हुआ है तो संस्थान के प्रमुख संस्थान माड्यूल में अपने संस्थान के समामेलन के लिए ऊपर वर्णित टेलीफोन नंबरों पर उप निदेशक (छात्रवृत्ति) से संपर्क कर सकते हैं।

4. विद्यार्थी माङ्यूल नए उम्मीदवारों के मामले में 15.09.2014 और नवीनीकृत उम्मीदवारों के मामले में 10.10.2014 तक लाइव रहेगा। मैटिक पश्चात छात्रवत्ति के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदनों के लिए समय सीमा निम्नानसार है :

- 1. विद्यार्थियों द्वारा नई छात्रवृत्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को जमा कराने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2014 विद्यार्थियों द्वारा क्रमशः संस्थानों के माध्यम से राज्य विभाग को ऑनलाइन आवेदनों के विधिवत हस्ताक्षरित प्रिंटेट 25 सितम्बर, 2014 वर्जन जमा कराने की अंतिम तिथि
- नवीनीकृत छात्रवृत्ति विद्यार्थियों द्वारा नवीनीकृत छात्रवृत्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को जमा कराने की अंतिम तिथि
 - 10 अक्टूबर, 2014 विद्यार्थियों द्वारा क्रमशः संस्थानों के माध्यम से राज्य विभाग को ऑनलाइन आवेदनों के विधिवत हस्ताक्षरित प्रिंटेट 20 अक्टूबर, 2014 वर्जन जमा कराने की अंतिम तिथि
 - 5. योग्यता मापदंड
 - (ए) पात्र होने के लिए विद्यार्थियों के पूर्व अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। न्यनतम आय वाले बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों को बढते क्रम
 - (बी) इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धारक पाठयक्रम में भाग लेने के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति/स्टाइपेंड का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
 - (सी) विद्यार्थियों माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष रु. 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (ঙ্ভী) उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा की अंक तालिका की विद्यालय/कॉलेज/संस्थान से सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए। स्थायी पते का प्रमाण। (ई)
 - **(एफ)** मूल फीस स्लिप या विधिवत सत्यापित फीस स्लिप।
 - आधार से जडा बैंक खाता/आधार नंबर
 - 6. छात्रवृत्ति (नवीनीकृत) के लिए शतें : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में छात्रवृत्ति के लिए जो विद्यार्थी चुने गए थे और उसी पाठ्यक्रम में अपने
 - अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, उन्हें नवीनीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। 7. पात्र आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें और विधिवत रूप से भरे गए आवेदन प्रपत्रों का प्रिंट आउट लेकर ऊपर वर्णित समय सीमा के अनुसार राज्य/संघ शासित विभाग के अपने संबद्ध संस्थान के माध्यम से सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ जमा कराए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बिना राज्य/संघ शासित विभाग में हार्ड कॉपी रसीद के आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदकों को
 - सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदनों को भरने से पूर्व अपनी सुविधा के लिए वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एफएक्युएस (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) को पढ़ लें। 8. कार्यक्षेत्र : ये छात्रवृत्तियां केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं।

 - 9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उपलब्ध मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियों की संख्या :-

या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा पुरस्कार या फेलोशिप नहीं मिली है)

	नु।स्लन	इसाइ	स्तियख	વાન્દ્ર	জন	पारसा	4361
	4192	336	1434	61	400	02	6425
10. छात्रवत्ति की टर :- नीचे दिए गए वर्णनानसार पाठ्यकम फीस /ट्यशन फीस और अनरक्षण भत्ते के लिए वास्तविक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो							

कि सबधित मद के लिए वर्णित एक अधिकतम सीमा के अधीन है।

छात्रवृत्ति की दर

स.	मद	हास्टलर	ड स्कालर
	कक्षा XI व XII के लिए प्रवेश व ट्यूशन फीस	अधिकतम ₹7,000/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन	अधिकतम ₹7,000/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन
2.	XI व XII स्तर के तकनीकी व वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश व पाठ्यक्रम/ट्यूशन फीस (कच्चे माल आदि के लिए फीस/चार्जेज सहित)	अधिकतम ₹10,000/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन	अधिकतम ₹10,000/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन
	स्नातक, स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश व द्यूशन फीस	अधिकतम ₹3,000/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन	अधिकतम ₹3,000/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन
4.	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ता (स्टडी मैटेरियल आदि के लिए खर्च सहित)		
	(i) कक्षा XI व XII इस स्तर के तकनीकी व वोकेशनल पाठ्यक्रम सहित	₹380/- प्रति माह	₹230/- प्रति माह
	(ii) स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी व पेशेवर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम	₹570/- प्रति माह	₹300/- प्रति माह
	एम. फिल और पीएच.डी. (उन रिसर्चर्स के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय	₹1,200/- प्रति माह	₹550/- प्रति माह

DIP/0282/14-15